न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–35/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/35)

1. रेखा पत्नी राकेश चंद
2. सरोज पत्नी दिनेश चंद
   समस्त जाति माहेश्वरी निवासी दादी धाम मंदिर वाली गली हंस नगर अजमेर रोड, ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मीना मंगरोला पत्नी श्री प्रकाश चंद जाति तेली निवासी म0न0 11, आसरवा कॉलोनी, आशापुंरा माता मंदिर की पीछे ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.01.2022 राजस्व वाद संख्या 63/2021 (2021/228).

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री समीर अहमद खान, अरमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2021 (2021/228) में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजीयात खसरा संख्या 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित है, उपरोक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा संख्या 4894/4532 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है से रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/ अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से इंकार किया गया, बाद प्रकरण में मौका रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तलब की जाकर, बाद उभयपक्ष की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 30 फीट चौड़ा रास्ते के आदेश दिनांक 04.01.2022 को पारित किये गयें। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2021 (2021/228) में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित है, उपरोक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा संख्या 4894/4532 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है से रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के मसक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 4894/4532 में से होकर कोई भी रास्ता स्थित नहीं है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.8.2008 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है। जिसमें से किसी प्रकार का रास्ता मौके पर अंकन नहीं है। अप्रार्थी की आराजीयात में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मौके पर स्थित है। उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 में स्पष्टतः खसरा नम्बर 4988/4574 से वैकल्पिक मार्ग होना अंकन किया है इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए गए है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की अनुपलब्धता के आधार पर रास्ता स्वीकृति के आदेश दिए जा सकते है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4894/4532 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है। जिसमें आवागमन हेतु किसी प्रकार से रास्ते की पात्रता अप्रार्थी नहीं रखते हैं अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक मार्ग आराजीयात खसरा नम्बर 4989/4574 से स्थित है जो कि उक्त लघुत्तम मार्ग है। मौके पर वैकल्पिक मार्ग होने के उपरांत भी आवागमन हेतु रास्ता के प्रावधान धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्णित नहीं है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाए जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ता नहीं होना अंकित किया है, वाछित रास्ते प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को दो भागों में विभाजित करता है। उक्त बाबत पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकन किया हुआ है, ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 4894/4532 की भूमि में से होकर आवागमन किए जाने का कथन मिथ्या है। जिस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए थे, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, मसूदा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 7.9.2022 में स्पष्टया अंकन किया है कि आराजी खसरा 4894/4532 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है के अतिरिक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग 4988/4574 में से मौके पर रेस्पोडेंट उपयोग में ला रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता दिए जाने में लगभग 0.0165 है0 भूमि प्रभावित होगी एवं वैकल्पिक मार्ग 4988/4574 से 0.0090 है0 रकबा ही प्रभावित होगा। उक्त संदर्भ में जवाब प्रस्तुती के उपरांत भी अवैधानिक रूप से 30 फीट का रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रुटि कारित की है। अप्रार्थी की आराजीयात पर आवागमन बाबत करीब 30 फीट रास्ते की भूमि को रास्ते में दर्ज किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य था। आराजीयात खसरा संख्या 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 के पास होकर मौके पर स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग करना व आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 4894/4532 में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 4988/4574 में लघुत्तम रास्ता होने के उपरांत भी स्वयं के द्वारा 8 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है के विपरीत प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात से 30 फीट रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है। आराजी खसरा संख्या 4988/4574 से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा स्पष्टया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बाबत वैकल्पिक रास्ता होने बाबात अंकन किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से मौके की रिपोर्ट तलब कराए जाने के आदेश पारित किए है किंतु रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का को उक्त संदर्भ में मनोनीत कर मौके की रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान जो कि आज्ञात्मक है के अनुसार पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार या आईएलआर से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नहीं जा सकेगा, ना ही उक्त आधार निर्णय पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मनोनीत तहसीलदार रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पटवारी हल्का को उक्त निर्मित मनोनीत करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसे उक्त दिनांक को ही प्राप्त होना वर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय से प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित की है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जो वो ठीक समझे करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है कि यह आवश्यकता आत्यांन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और, अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ठ रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत जहां मौके पर पूर्व से ही खसरा संख्या 4988/4574 व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अन्य खसरा नम्बरान में से आवागमन हेतु रास्ता स्थित है, वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है। वैकल्पिक रास्ता होने के उपरांत भी अपीलांट की आराजीयात में से रास्ता दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार कर त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय, मसूदा द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय रूप से मंगाई गई पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात से रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदशे वैकल्पिक रास्ते के स्थित होते हुए भी किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2021 (2021/228) में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0बी0जे (27) 2020 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट सख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस/अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का खरवा द्वितीय तहसील मसूदा में खसरा नम्बर 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 की भूमियां स्थित है जो रेस्पोडेंट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 4894/4532 में स्थित है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी/अपीलांट की चली आ रही है। जिसमें से रेस्पोडेंट को आने जाने का रास्ता नेशनल हाईवे सडक से खसरा नम्बर 4895/4532 से खसरा नम्बर 4894/4532 में 60+40 का रास्ता रेस्पोडेंट के खेतों में आता है जो कि पूर्व खातेदारों ने दिनांक 17.3.1994 को इकरारनामा कायमी रास्ता बबात लिखापढ़ी हो रखी है। तथा उसके पश्चात दिनांक 1.8.2009 की लिखापढ़ी से भी स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट के खेतों में आने जाने का उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 3.7.2021 को रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने नहीं दे रहे है। जिससे रेस्पोडेंट को उपरोक्त रास्ते को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, तथा रेस्पोडेंट उपरोक्त रास्ते बाबत डी.एल.सी. रेट से जो भी राशि बनती है जिसे रेस्पोडेंट जमा कराने के लिए तैयार है। अतः रेस्पोडेंट के खेतों में आने जाने हेतु 60+40 लम्बाई चौडाई का रास्ता दिलवाया जावें और जो रास्ता बंद कर दिया गया है उसे खुलवाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट के रास्ते में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पाबंद फरमाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073–2076 में वर्णित भूमियों खसरा नम्बर 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 की रेस्पोडेंट खातेदार दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा 4894/4532 अप्रार्थी/अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा तहसीलदार, मसूदा ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी रेस्पोडेंट की भूमि में आने जाने हेतु खसरा सख्या 4894/4532 का उपयोग किया जा रहा है, तथा रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि में आने जाने का कोई अन्य मार्ग नही हैं तथा रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु मुख्य सडक तक पहुंचने में सुविधाजनक रास्ता खसरा नम्बर 4894/4532 में होना दर्शाया गया हैं। जबकि अप्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब के समर्थन में ऐसा कोई भी अन्य मार्ग जिसका उपयोग रेस्पोडेंट कर रही हो उसके विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट/प्रार्थी को खसरा नम्बर 4894/4532 में रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी होने से रास्ता प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित है, उपरोक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा संख्या 4894/4532 से रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2022 को पारित किया गया। अपीलांटस का मुख्य कथन यह है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक मार्ग आराजीयात खसरा नम्बर 4989/4574 से स्थित है जो कि लघुत्तम मार्ग है। मौके पर वैकल्पिक मार्ग होने के उपरांत भी आवागमन हेतु नवीन रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है जबकि पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.09.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का द्वारा सयुक्त रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें बिन्दु संख्या 01 में यह अंकित किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 में आने–जाने हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपने खेत खसरान पर कृषि से सम्बन्धित कार्य करने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है अतः अपीलांटस द्वारा अपील में उठाया गया उक्त उज्र चलने योग्य नही है, अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह भी उज्र उठाया कि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई, जबकि पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का द्वारा सयुक्त रूप से तैयार की गई।अतः अपीलांट का यह उज्र भी सारहीन हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किए जाने के पश्चात यह तथ्य भी सामने आता है कि अपीलांट ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि 2008 में क्रय की है, प्रत्यर्थीगण भी विवादग्रस्त आराजीयात के क्रयशुदा मालिक है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अपीलांट के भी वे ही अधिकार सृजित हो सकते हैं जो अधिकार उन खातेदारों के थे जिनसे उसने भूमि क्रय की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कानून की मंशा भी यही है कि खातेदारों को उनकी आराजी में पहुंचने के लिए सुलभ मार्ग उपलब्ध करवाया जावें। अपीलांट के पूर्व खातेदारों द्वारा निर्बाध रास्ता जारी रखने बाबत एक अनुबंध पत्र पूर्व में किया हुआ है अपीलांट उससे एस्टोप्ड है। विधि का स्पष्ट सिद्धांत है कि स्वयं स्वीकृति से बड़ा कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलांटस पूर्व खातेदारान द्वारा किए गए अनुबंध से मुकर नहीं सकता। हालांकि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित मार्ग से थोडा कम दूरी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बताया गया है परन्तु पूर्व में हुए राजीनामा/अनुबन्ध को नकारा नहीं जा सकता। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ते के प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र के रूप में किया जाता है, जिसमें दावे की तरह साक्ष्य/जिरह नहीं होती है, चूँकि प्रत्यर्थीगण द्वारा दो अलग–अलग अनुबन्ध पेश किये गये। अनुबन्ध दिनांक 17.06.1994 में 22 फिट चौड़ा व अनुबन्ध दिनांक 01.08.2009 में 8 फिट चौड़ा रास्ता कायम रखने बाबत् राजीनामा हुआ है, ऐसे में विचारण न्याायालय को निर्णय पारित करते समय यह ध्यान रखना था कि प्रस्तावित मार्ग प्रदान किये जाने से कितना रकबा अपीलांट का प्रभावित होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किया गया है, जिससे अपीलांट की भूमि का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में चला जाता है किन्तु यहॉ यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पास अपने खेत खसरान तक जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता भी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 में आंशिक संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार कर 30 फीट चौड़ा रास्ते की जगह 12 फीट चौड़ा किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2021 (2021/228) में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 में संशोधन कर आदेश दिये जाते है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि मौजा रामपुर पटवार हल्का खरवा द्वितीय तहसील मसूदा में खसरा नम्बर 4528, 5071/4529, 4531, 5073/4530 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 4894/4532 में से 30 फीट के स्थान पर 12 फीट का रास्ता अंकित किया जावें, उपरोक्तानुसार तहसीलदार, मसूदा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा शेष रकबे राशि, नियमानुसार पुनःअपीलांटस को प्रदान की जावें। मत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर